

UPKS060005812022



न्यायालय सिविल जज (क 0 श्रे0)/त्वरित न्यायालय प्रथम, कौशाम्बी।

उपस्थित:- सबा फातिमा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

मूल वाद सं० - 167 /2003

कुतुबउददीन उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र मंसूर अहमद निवासी चायल खास,परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी।

.....वादी।

बनाम

शौकत अली उम्र लगभग 60 वर्ष पुत्र मोहरम अली निवासी ग्राम चायल खास परगना व तहसील चायल जनपद कौशाम्बी।

.....प्रतिवादी।

:- निर्णय :-

1. प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई व्यादेश के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।
2. वादी का वाद कथानक संक्षेप मे इस प्रकार है कि वाद पत्र के साथ सलंगन नक्शा नजरी मे वर्णित मकान जो अक्षर अ ,ब, स,द से दिखाया गया है का मालिक काबिज व देखील है। अक्षर य, र, ल, व वादी का मकान है व अक्षर अ,य,र,ल,स,द वादी का आँगन है। बिन्दु च पर वादी का गेट लगा हुआ है जिससे वह निकलकर जानिव उत्तर चायल गिरिया मार्ग पर आता है और यही एक मात्र रास्ता वादी के निकास का है जिसका वह उपयोग व उपभोग अरसे से करता चला आ रहा है नक्शा वादपत्र में प्रदर्शित रास्ता जो लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है प्रतिवादी का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न ही उसका स्वत्व कब्जा व दखल ही है।
3. विवादित रास्ते के जानिब पश्चिम प्रतिवादी की बाग है और प्रतिवादी रंजिशवश अपने बाग के पूर्वी जानिब कायम रास्ते को बंद कर अपने बाग में मिलाना चाहता है और प्रतिवादी ऐसा करने से वादी का निकास अवरुद्ध हो जायेगा। प्रतिवादी दिनांक 04.03.2003 को विवादित रास्ते पर अपने सहयोगियों के साथ आकर रास्ते पर नीव खोदकर निर्माण करने का प्रयास किया किन्तु वादी द्वारा विरोध करने व

लोगो के बीच बचाव से प्रतिवादी निर्माण करने में सफल नहीं हुआ तथा आइन्दा निर्माण करने की धमकी देकर चला गया। प्रतिवादी को कोई हक हासिल नहीं है कि वह वादी का निकास बंद कर दें वादी मुश्तहक है कि जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी को रोकवा देवे कि वह विवादित रास्ते पर कोई निर्माण न करें तथा वादी का आवागमन बाधित न करें। वाद का कारण दिनांक 04.03.2003 को अन्तर्गत क्षेत्राधिकार न्यायालय तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने विवादित रास्ते पर नींव खोदना चाहा और धमकी दिया तथा न्यायालय को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है। वादी द्वारा याचना की गयी कि जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी व उसके मेली मददगार को रोक दिया जाये कि वह नक्शा वादपत्र में प्रदर्शित रास्ता जो लाल रंग से दिखलाया गया है पर किसी प्रकार का निर्माण करके वादी का आवागमन बाधित न करे और न ही वादी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें।

4. प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन कागज संख्या 39 क दाखिल कर वादपत्र के सभी अभिकथनों का खंडन किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त कथन किया गया है की वादी ने मकान का मुख्य सेहन दरवाजा जानिब उत्तर की ओर है वादी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के साथ नजरी नक्शे को बिन्दु व एवं ल से दूर ब के करीब मुख्य दरवाजा स्थित है जिसे इसने बदनियती से बिन्दु च में प्रदर्शित किया है प्रतिवादी हालात मुकदमा रोशन करने के लिए वास्तविकता के अनुरूप अपने प्रतिशपथ के साथ यथास्थिति नजरी नक्शा संलग्न किया है। वादी का मकान में पहुंचने का रास्ता जहां उसके नजरी नक्शा में बिन्दु स प्रदर्शित है से और र के मध्य दरवाजा चहारदीवारी कायम है जिसके जानिब पश्चिम तथा उत्तरदाता के पुत्र मोइनउद्दीन के मकान के जानिब उत्तर से होकर पश्चिम दिशा में खडन्जा मार्ग तक जाता है। इस रास्ते से होकर वादी एवं प्रतिवादी उत्तरदाता के पुत्र मोइनउद्दीन का आना-जाना जबसे आबादी कायम है अर्सा लगभग 10 वर्ष से है और उसी से होकर वादी अपने मकान में बराबर आता जाता है। नजरी नक्शे में बिन्दु च में गेट कायम दिखाया गया है सरासर गलत व खिलाफ वाकिया एवं तथ्य के है। प्रतिवादी की बाग आ०स० 710 रकबा 0.80 हे० में स्थित है। जिसमे महुआ के दरखतान कायम है जो कि पक्की सड़क चायल से चौराडीह मार्ग से मिली हुई जानिब दक्षिण स्थित जिसे संलग्न नजरी नक्शे में हरूप निशानी स,ख,ग,घ से प्रदर्शित किया गया है और बिन्दु घ के जानिब 10 फिट चौड़ा रास्ता है जो वादी के चहारदीवारी के दरवाजे में जाकर समाप्त हो जाता है।

5. वादी ने जैसा कि अपने नजरी नक्शे में लाल रोशनाई से चिन्हित रास्ता अपना कायम किया है वह गलत है चूंकि स से लेकर बिन्दु ज तक उत्तरदाता की बाउन्डी लगभग 5 फिट ऊंची अरसा लगभग 10 वर्ष से स्थित है जो की कुल्लू के मकान के दक्षिणी सीमा से लगी है किन्तु वादी बदनियती से इस तथ्य का छिपाकर बाउन्डी की जगह से फर्जी रास्ता अपने नजरी नक्शे में कायम किया है। तथाकथित रास्ता न तो कभी कायम था न ही मौके पर है बल्कि वास्तविकता यह है कि वादी के आने जाने एवं प्रतिवादी के पुत्र की जाने का एक ही मार्ग है जिसे संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से किया गया है। वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी को परेशान को परेशान करने के लिए वाद कायम किया अतएव प्रतिवादी वादी से खर्चा मुकदमा पाने का धारा 35 अ जा०दी० के तहत मुस्तहक है । दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० से बाधित है। दावा में तथाकथित रास्ते से होकर आवागमन न होने के कारण धारा 34 एवं 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है। वादी प्रतिवाद के बाग बाउन्डी बिन्दु स से लेकर बिन्दु ज तक लगभग 10 वर्ष से कायम देखता चला आ रहा है और आज तक कोई भी दावेदारी जैसा कि उपरोक्त

किया है पहले कभी नहीं किया अतएव वादी का दावा मसला विवन्ध बाधित है। अतः दावा वादी सब्यय निरस्त होने योग्य है।

6. उभयपक्ष के उपरोक्त अभिवचन के आधार पर दिनांक 04.07.2012 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किया गया:

1. क्या वादी को वादग्रस्त सम्पत्ति प्रदर्शित नक्शा नजरी रास्ता पर आने जाने का अधिकार है?
2. क्या वाद अल्पमूल्यांकित तथा न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

इसके अतिरिक्त दिनांक 15.09.2022 को उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार निम्नलिखित अतिरिक्त वाद बिन्दु विरचित किये गए व वाद बिन्दु संख्या 3 को डिलीट कर पुनः क्रमांकित किया गया है।

3. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 जा०दी० से बाधित है?
4. क्या दावा वादी विबंधन के सिद्धान्त से बाधित है?
5. क्या दावा वादी धारा 34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है ?
6. क्या वादी धारा 35 A सी .पी. सी. के अंतर्गत किसी मूल्य को पाने का हकदार है ?
7. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?
7. वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 8 ग से राशन कार्ड 9 ग/1 की छाया प्रति, बिजली कनेक्शन रसीद 10 ग/1 की छाया प्रति व वोटर लिस्ट 11 ग/1 की छाया प्रति दाखिल किया गया है। वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में सूची 57 ग से कुतुबउददीन पी० डब्लू-1 तथा मो० ताजीम पी० डब्लू-2 के रूप में प्रस्तुत व परीक्षित कराया गया।
- 8 . प्रतिवादी की तरफ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 104 ग/1 लगायत 104 ग/5 से खतौनी, खसरा की मूल प्रतियां दाखिल की गयी है। प्रतिवादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में अनवर अली डी० डब्लू-1 के रूप में प्रस्तुत व परीक्षित कराया गया।
9. पत्रावली में कमिश्नर आख्या कागज संख्या-35 क /1 ता 35 क/5 दाखिल है जो की दिनांक - 01.05.2008 को साक्ष्य के अधीन पुष्ट किया गया है।
- 10 . उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

-: निष्कर्ष -:

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1-

11 . वाद बिन्दु संख्या-1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी को वादग्रस्त सम्पत्ति प्रदर्शित नक्शा नजरी रास्ता पर आने जाने का अधिकार है?

12 . उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा वाद पत्र मे यह अभिकथन किया गया है की वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी बरंग लाल से प्रदर्शित रास्ते पर प्रतिवादी को निषेधित कर दिया जाए की उक्त रास्ते पर कोई निर्माण करे न ही वादी का आवागमन बाधित करे और न ही वादी के उपयोग व उपभोग मे किसी प्रकार से हस्तक्षेप करे।

13. प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकथनों का खंडन करते हुए कथन किया गया की विवादित रास्ते पर बाउंड्री लगभग 10 साल से स्थित है। वादी का निकास उत्तर से पश्चिम दिशा से होकर खड़जा मार्ग से जाता है।

14. वादी को अपने मौखिक साक्ष्य से वादग्रस्त रास्ते पर आने जाने का अधिकार साबित करना होता है। वादी ने वाद बिन्दु संख्या 01 को अपने पक्ष मे साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी0 डब्ल्यू-01 के रूप मे स्वयं को परीक्षित कराया है। पी0 डब्ल्यू-1 कुतुबउद्दीन ने अपनी प्रति परीक्षा मे यह कथन किया है की “मेरा मकान अराजी नंबर 720 मे बना है । इसी नंबर मे रास्ता है। मेरे मकान के उत्तर की तरफ सेहन है सेहन कितना लंबा चौड़ा है मैं नहीं बता सकता मेरे मकान के उत्तर कुल्लू साहू का मकान है । मेरे मकान व कुल्लू के मकान के पश्चिम गिरिया मार्ग है। फिर वहाँ बाग है मेरे मकान के पश्चिम प्रतिवादी की बाग है। दौरान मुकदमा प्रतिवादी ने अपने बाग मे पूर्वी सीमा मे दौरान मुकदमा दीवार बना लिया ।शौकत अली के बाग के पूर्वी हिस्से मे लगभग 5-6 फिट ऊंची दीवार खड़ी है। इस समय पूरब मे तालाब के किनारे से कुल्लू के घर के पूरब से निकलता हूँ । जो मेरे मकान से पश्चिम खड़जा मार्ग की तरफ दरवाजा लगा है उससे मेरे भाई निकलते है।

15. इसी प्रकार पी0 डब्ल्यू- 2 मो0 ताजीम ने अपनी प्रति परीक्षा मे यह कथन किया कि “ शौकत अली के दक्षिण शौकत के बेटे का मकान है उसका नाम मुझे नहीं मालूम। शौकत अली के लड़के के अलावा पूरब साइड मोइनउद्दीन का मकान है। कुतुबउद्दीन का दरवाजा उत्तर की तरफ खुलता है मोइन का दरवाजा पश्चिम की तरफ खुलता है। कुतुबउद्दीन व मोइनउद्दीन सगे भाई है।”

16. इसी प्रकार डी0 डब्ल्यू- 1 शौकत अली द्वारा अनवर अली को मुख्तार खास बनाया गया है एवं मुख्तार खास कागज संख्या 1003/क/3 पत्रावली मे सलंगन है। मुख्तार खास अनवर अली ,शौकत अली का पुत्र है। डी0 डब्ल्यू- 1 ने अपनी प्रति परीक्षा मे यह कथन किया “विवादित अराजी संख्या 710 है। चौहद्दी पूरब-कुल्लू , पश्चिम- बन्ने उत्तर झबबू व बाउंड्री दक्षिण कुम्हारों की बस्ती है।अराजी संकया 710 और कुल्लू के मकान के बीच कोई खाली जगह नहीं है।”

16. वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा अभिलेखिए प्रपत्र की मात्र छाया प्रतियां दाखिल कि गई है। जो विधि अनुसार साक्ष्य मे ग्राह्य नहीं है। साथ ही उक्त छाया प्रतियां प्रशनगत रास्ते पर वादी के आने जाने के किसी अधिकार के समर्थन मे परिलक्षित नहीं होती। वादी द्वारा अपने वादपत्र के साथ सलंगन नक्शा नजरी मे विवादित रास्ता बरंग लाल से प्रदर्शित किया गया है । किन्तु उक्त रास्ते के समबंध मे वादी द्वारा कोई माप नहीं दर्शाई गई है । न ही किसी परीक्षित साक्षी द्वारा विवादित रास्ता के बाबत उसकी माप बताई गई है। वादी द्वारा अपनी जिरह मे अपना मकान व रास्ता अराजी संख्या 720 मे होने का कथन किया गया है। किन्तु उक्त के बाबत कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। जिससे यह साबित हो सके की विवादित रास्ता अराजी संख्या 720 मे है। वादी द्वारा अपने जिरह मे कथन किया गया है की प्रतिवादी के बाग के पूर्वी हिस्से मे 5-

6 फिट ऊंची दीवार खड़ी है। और वह पूरब में तालाब के किनारे ये कुल्लू साहू के घर के पूरब से निकलता है। यह स्पष्ट करना समीचीन है कि वादी द्वारा स्वयं इस बात की स्वीकार किया गया है कि प्रतिवादी के बाग के पूर्वी हिस्से में दीवार खड़ी है व अब उसका निकास कुल्लू साहू के घर के पूरब से होता है। ऐसे में वादी द्वारा अनवरत उक्त रास्ते का प्रयोग किया जा रहा है यह साबित नहीं हो रहा है। वादी ने ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा है कि उपरोक्त दीवार को ध्वस्त कराया जाय। अराजी संख्या 720 में वादी ने अपना मकान एवं प्रसनगत रास्ता बताया है। जबकि अराजी संख्या 720 राजस्व प्रपत्रों में किस रूप में दर्ज है इस सम्बन्ध में कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया है। नक्शा वाद पत्र के परिशीलन से भी यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा अक्षर अ,ब,स,द से अपनी आँगन व मकान बिना माप के प्रदर्शित किया है। मकान के सामने उत्तर की तरफ सेहन भूमि भी बिना माप के प्रदर्शित की गई है। एवं उसी सेहन भूमि के पश्चिम ओर रास्ता प्रदर्शित होता है। विवादित रास्ते से पूरब कुल्लू साहू का मकान है। वादी के मकान के पूरब ओर दक्षिण तालाब भूमि है। ऐसी स्थिति में यदि अराजी संख्या 720 गाँव की आबादी है तो उक्त 720 का कुल रकबा वादी का नहीं हो सकता एवं आबादी में निर्मित कोई रास्ता भी वादी का व्यक्तिगत नहीं हो सकता। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि विवादित रास्ता आम रास्ता है तो वादी यह वाद आदेश 1 नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिनिधिक वाद लाना चाहिए था।

पत्रवाली पर दाखिल कमिश्नर आख्या एवं उसके साथ संलग्न नक्शे को यदि पक्षकारों के मौखिक साक्ष्य के देखा जाए तो वर्तमान में कोई ऐसा रास्ता मौके पर नहीं है एवं वादी का निकास पश्चिम ओर स्थित अपने दरवाजे से दक्षिण पुनः पूरब की ओर रास्ता स्थित खाली जमीन से मुख्य मार्ग तक है। वादी का एक दरवाजा उसकी अभिकथित पूरब ओर खाली भूमि पर भी है। एवं उसी खाली भूमि के उत्तर एक अन्य व्यक्ति कुल्लू साहू का मकान है उसका रास्ता भी वादी एवं कमिश्नर आख्या के अनुसार खाली जमीन पर खुलता है। उक्त खाली जमीन के पूरब कोई निर्माण नहीं होना परिलक्षित है एवं सीधा संपर्क मुख्य चाइल गिरिया मार्ग तक है। ऐसी स्थिति में भी वादी का प्रशनगत रास्ते पर अपनी उपयोग व उपभोग का सुखाधिकार का कथन साबित नहीं होता।

17. अतः उपरोक्त आधार पर वादी का विवादित रास्ते पर अपना आवागमन एवं उपयोग व उपभोग व साबित करने में असफल रहा है। अतः वाद बिन्दु संख्या -1 वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-02:-

18. वाद बिन्दु संख्या-02 इस आशय का विरचित किया गया है **क्या वाद अल्पमूल्यांकित तथा न्यायशुल्क अपर्याप्त है?**

19. उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक-04.07.2012 को किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-03 :-

20. अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-03 इस आशय का विरचित किया गया है की क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 जा०दी० से बाधित है?

उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन कागज संख्या – 26 क की धारा-16 में यह कथन किया है कि दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. से बाधित है।

21. उक्त वाद बिन्दु सं० 03 के संबंध में प्रतिवादी ने प्रतिवादपत्र में यह नहीं बताया है कि आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० के किस उप-खण्ड (Sub clause) से बाधित है और न ही इस पर बल दिया गया है। उक्त वाद बिन्दु के सम्बन्ध में प्रतिवादी की तरफ से ऐसा कोई सारवान प्रलेख व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० में वर्णित आधारों में से किसी आधार से बाधित हो और वादी का वादपत्र दावा दायरा के समय किसी विधि से बाधित न होने पर मंजूर व दर्ज रजिस्टर किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी उक्त वाद बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः वाद बिन्दु सं० 03 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-04 :-

22. अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-04 इस आशय का विरचित किया गया है की क्या दावा वादी विबंधन के सिद्धान्त से बाधित है?

23. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन कागज संख्या- 26 क की धारा-18 में यह कथन किया है कि वादी प्रतिवादी के बाग की बाउंड्री बिन्दु च से लेकर ज तक अरसा लगभग 10 वर्ष से कायम देखता चला आ रहा है और आज तक कोई भी दावेदारी नहीं किया है अतः का दावा विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित है। यहा यह स्पष्ट करना समीचीन है की वादी द्वारा यह कथन किया गया है की प्रशनगत दीवार का निर्माण दौरान मुकदमा किया गया है जबकि धवस्तिकरण के बाबत कोई अनुतोष याचित न करने पर इस बिन्दु पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि अभिकथित दीवार 10 वर्ष पुरानी है या नहीं या दौरान मुकदमा निर्मित की गई है। अतः वाद बिन्दु संख्या-04 नकारात्मक रूप से वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-05:-

24. अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-05 इस आशय का विरचित किया गया है की क्या दावा वादी धारा 34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

25. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन कागज संख्या – 26 क की धारा-17 में यह कथन किया है कि दावा वादी धारा-34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधि० से बाधित है।

26. उक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादी द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है तथा न ही कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादी द्वारा बल न दिये जाने के कारण व साक्ष्य अभाव में प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। वाद बिन्दु सं०-1 पर निष्कर्ष मेरे द्वारा दिया जा

चुका है। उक्त बाद बिन्दु सं० 05 वाद बिन्दु सं० 1 में दिए गए निष्कर्ष के आधार पर ही देखा जाएगा। तदनुसार वाद बिन्दु सं० 05 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-06 :-

27. अतिरिक्त वाद बिन्दु संख्या-06 इस आशय का विरचित किया गया है की **क्या वादी धारा 35A सी.पी.सी. के अंतर्गत किसी मूल्य को पाने का हकदार है ?**

28. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन कागज संख्या 26 क की धारा-15 में यह कथन किया है कि प्रतिवादी धारा 35 ए सी.पी.सी. के तहत विशिष्ट अनुतोष पाने के अधिकारी है।

29. यहाँ धारा 35 ए सी पी सी का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा

Section 35A C.P.C. :

Compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defenses.

(1) If any suit or other proceedings including an execution proceedings but excluding an appeal or a revision] any party objects to the claim of defence on the ground that the claim or defence or any part of it is, as against the objector, false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward, and if thereafter, as against the objector, such claim or defence is disallowed, abandoned or withdrawn in whole or in part, the Court, [if it so thinks fit] may, after recording its reasons for holding such claim or defence to be false or vexatious, make an Order for the payment the object or by the party by whom such claim or defence has been put forward, of cost by way of compensation.

(2) No Court shall make any such Order for the payment of an amount exceeding 5three thousand rupees] or exceeding the limits: of it pecuniary jurisdiction, whichever amount is less. Provided that where the pecuniary limits of the jurisdiction of any Court exercising the jurisdiction of a Court of Small Causes under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (9 of 1887) 6[or under a corresponding law in force in 7[any part of India to which the said Act does not extend]] and not being a Court constituted 8[under such Act or law), are less than two hundred and fifty rupees, the High Court may empower such Court to award as costs under this section any amount not exceeding two hundred and fifty rupees and not exceeding those limits by more than one hundred rupees: Provided, further, that the High Court may limit the amount or class of Courts is empowered to award as costs under this Section.

(3) No person against whom an Order has been made under this section shall, by reason thereof, be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defence made by him.

(4) The amount of any compensation awarded under this section in respect of a false or vexatious claim or defence shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defence.

30. धारा 35A सी.पी.सी. झूठे व फूर्जी दावों के सम्बन्ध में प्रतिपूरक लागत को उपाधारित करती है। उक्त वाद बिन्दु के सम्बन्ध में प्रतिवादी की तरफ से ऐसा कोई सारवान प्रलेख व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि वादी द्वारा यह वाद झूठा व फर्जी दावे के सम्बन्ध में

दाखिल किया गया। है। अतः प्रतिवादी धारा 35 ए सी.पी.सी. के तहत विशिष्ट अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं हैं। अतः बाद बिन्दु सं० 06 प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-07 :-

31. वाद बिन्दु संख्या-07 इस आशय का विरचित किया गया है की **क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?**

32. उक्त बाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अन्य किसी अनुतोष पर बल नहीं दिया था। मुख्य रूप से उनके अधिवक्ता ने स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष पर ही बल दिया था और बरवक्त निस्तारण वाद बिन्दु सं० 1 न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि वादी मुख्य अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादी के विरुद्ध पाने की अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा समग्र विश्लेषण पश्चात अन्य अनुतोष देने के क्रम में यह पाया जाता है कि वादी किसी अन्य अनुतोष को भी पाने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि वादी मुख्य अनुतोष को ही अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।

33. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा हबीबुल्लाह बनाम मो० यासीन आदि द्वितीय अपील संख्या 958 वर्ष 1980 निस्तारित 12 दिसम्बर 1994 के मामले में व Moran Mar Basselios Catholics & another V. Most. Rev. Mar Poulouse Athnnasina & others (AIR 1954 S.C. Page 526) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना होता है। वादी प्रतिवादी के कमियों का लाभ नहीं ले सकता है।

34. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त समस्त विश्लेषण पश्चात तथा वाद बिन्दु सं० 01 ता 07 पर दिए गए निष्कर्षों के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रतिवादी वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा वादी अपने किसी भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से उक्त अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं पाया गया है। अतः दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादी वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किए जाने योग्य है।

:-आदेश:-

35. प्रस्तुत मूल वाद संख्या-167/2003 निरस्त किया जाता है। पक्षकार वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक-26.09.2022

(सबा फातिमा)

सिविल जज (क 0 श्रे0)/ त्वरित न्यायालय-1

कौशाम्बी

J.O.Code-UP3431

36. आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-26.09.2022

(सबा फातिमा)

सिविल जज (क 0 श्रे0)/ त्वरित न्यायालय-1

कौशाम्बी

J.O.Code-UP3431